

दिनांक: 02-12-2021

16823/निफ़्ट/श्रीनगर/संपदा/गृहप्रबंधन सेवाएँ/2021/1118

निफ्ट,श्रीनगर में गृह-प्रबंधन सेवाएँ लेने के लिए ई-निविदा सूचना

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर अपने परिसर आदि के लिए एक वर्ष की अविध के लिए गृह प्रबंधन सेवाएं लेने के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करता है जिसे दो साल की अविध के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है तथा जो अभिकरण के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है।

निविदा प्रक्रिया के लिए समय-सारणी:

निविदा अधिसूचना की तिथि	02-12-2021
पूर्ण रूप से भरी निविदाओं (ऑनलाइन) को प्राप्त करने की अंतिम तिथि	25-12-2021, शाम 5 बजे तक
निविदाओं की तकनीकी बोली खुलने की तिथि एवं समय	27-12-2021, सुबह 11 बजे तक
निविदाओं की वित्तीय बोली खुलने की तिथि एवं समय	तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित करने के लिए
बयाना जमा	"शून्य" बोली सुरक्षा घोषणा बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों में रखी जाएगी

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, बोलीदाता को बोली जमा करने से पहले https://eprocure.gov.in पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज में निहित विवरण देख लेना चाहिए। निविदा दस्तावेज निफ्ट श्रीनगर की वेबसाइट https://www.nift.ac.in/srinagar/के "निविदा" लिंक पर भी देखने के लिए उपलब्ध हैं

टिप्पणी: किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, बोलीदाता अपने प्रश्नों को Estates.srinagar@nift.ac.in पर भेज सकते हैं या +91-7006149501 पर संपर्क कर सकते हैं।

> निदेशक राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर



चयन के लिए पात्रता और मानदंड:

- 1.1) ऐसे फर्म या अभिकरण जिन्हें कम से कम पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों (2018-19,) 2019-20, 2020-21) में किसी भी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकायों / राष्ट्रीय स्तर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी, निफ़्ट,एनआईटी, सीयू/ प्रतिष्ठित कंपनियों आदि में गृह प्रबंधन सेवाओं का अनुभव हो। वे संस्थान/संगठन जहां संविदा पर कम किया गया था ,से प्राप्त संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाण पत्र (सरकारी खाते में जीएसटी समय पर जमा करने सहित सभी सांविधिक दायित्वों के अनुपालन के संदर्भ में सफल समापन का उल्लेख) तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- 1.2) पिछले प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों यानी 2017-18, 2018-19, 2019-20 में अभिकरण का वार्षिक न्यूनतम आवर्त/टर्न ओवर 20 लाख रुपये या उससे अधिक होना चाहिए (जैसा कि उल्लेख है पिछले तीन वर्षों के आवर्त/टर्न ओवर के लिए सीए प्रमाणित विवरण / प्रमाण पत्र तकनीकी बोलियों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।)
- 1.3) निविदाकर्ता को बोली दस्तावेजों के साथ बयाना जमा के लिए एक बोली सुरक्षा घोषणा संलग्न करनी होगी।
- 1.4) उचित पर्यवेक्षण, दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के मामले में उचित पहुंच, कार्यस्थल पर गृह प्रबंधन अभिकरण के साथ बेहतर समन्वय के लिए अभिकरण का एक शाखा कार्यालय श्रीनगर में होना चाहिए। यदि अभिकरण का श्रीनगर में कार्यालय नहीं है, तो बोलीदाता को वचन देना होगा कि ठेका आवंटन के एक माह के भीतर श्रीनगर में कार्यालय खोल दिया जाएगा
- 1.5) निविदाकर्ता को केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य संगठन द्वारा कालीसूचित/प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक नोटरीकृत हलफनामा बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- 2.0) तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए
 - पैन कार्ड की प्रति
 - फर्म के वस्तु और सेवा कर पंजीकरण की प्रति।
 - विगत 3 वर्षों का आयकर विवरण (आ.व. 2017-18, 2018-19, 2019-20)।
 - ठेका श्रम अधिनियम के तहत सहायक श्रम आयुक्त/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से जारी लाइसेंस (कम से कम 15 श्रमिकों का)।
 - 🗲 कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पंजीकरण प्रमाणपत्र/कोड संख्या
 - 🕨 कर्मचारी राज्य बीमा(ईएसआई) से पंजीकरण प्रमाण पत्र
 - बिंदु संख्या 1.1 और 1.2 के समर्थन में प्रमाण पत्र।
 - पिछले 3 वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20 के आवर्त/टर्न ओवर के लिए सीए प्रमाणित विवरण / प्रमाण पत्र की प्रति।
 - 🕨 बोली सुरक्षा घोषणा
 - 🕨 फर्म/अभिकरणों के श्रीनगर/बडगाम, जम्मू-कश्मीर में पंजीकृत



कार्यालय के साथ-साथ शाखा कार्यालय का पता प्रमाण।

टिप्पणी: तकनीकी बोली के साथ उपरोक्त का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त में से किसी की भी अनुपस्थिति में अभिकरण वित्तीय बोली खोलने के लिए अपात्र होगा।

तकनीकी बोली में दी गई जानकारी के आधार पर निफ्ट विवरण का सत्यापन, प्रतिपरीक्षण तथा परिसर का दौरा कर सकता है और बोलीदाताओं को लघुसूची करने के लिए अधिकारियों की संस्तुति हेतु एक समिति का गठन कर सकता है। आवश्यक कर्मियों की आपूर्ति करने में सक्षम और समर्थ फ़र्म या अभिकरणके लघुसूचीयम के लिए परिसर निदेशक का निर्णय अंतिम होगा। केवल लघूसूचित किए गए बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां विचार के लिए खोली जाएंगी।

निविदाकर्ता योग्यता मानदंडों के तहत सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। तकनीकी बोली के साथ प्रमाण संलग्न किया जाएगा, तकनीकी बोली के तहत किसी भी मानदंड में विफल रहने पर मूल्य बोली खोलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

बोलियां जमा करना

- 1. इस निविदा के लिए बोलियां केवल ऑनलाइन माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) https://eprocure.gov.in के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। आवेदन के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फर्म को *https://eprocure.gov.in* पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- 3. निविदा दस्तावेज निफ्ट श्रीनगर की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nift.ac.in/srinagar/ और सीपीपी पोर्टल https://eprocure.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- 4. बोलीदाता को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में जो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होना चाहते हैं (जिनके पास विधिवत समर्थित प्राधिकरण पत्र हो) की उपस्थिती में यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह निविदा के लिए आवेदन करने से पहले उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

क) सामान्य निबंधन और शर्तें: -

जैसा की ऊपर बताया गया है निविदा केवल आधिकारिक निविदा फॉर्म में जमा की जाएगी।
 किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किए जाने पर उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।



- 2. निविदा प्रपत्र के साथ जारी अनुसूची, जिसमें प्रदान की जाने वाली सेवाएँ सूचीबद्ध हैं, में निविदाकर्ता द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
- 3. निविदा से कोई कागज अलग नहीं किया जाएगा।
- निर्धारित तिथि एवं समय के बाद किसी भी कारण से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5. अभिकरण द्वारा किए गए किसी भी सशर्त प्रस्ताव या निविदा फॉर्म में किए गए किसी भी परिवर्तन/सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, अपूर्ण और अहस्ताक्षरित उद्धरण अस्वीकार कर दिये जाएंगे।
- 6. भारत सरकार के नीति परिपत्र संख्या 1(2)/2016/एमए दिनांक 10 मार्च 2016 के अनुसार सार्वजिनक खरीद में स्टार्टअप्स को पूर्व अनुभव और कुल बिक्री मानदंड पर छूट गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के अधीन लागू होगी।
- 7. निफ्ट के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 8. अभिकरण द्वारा उद्धृत दरें निर्दिष्ट कार्य के दायरे के अनुसार उचित होनी चाहिए। अन्य कोई भी उदग्रहणीय व्यय का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।
- 9. अभिकरण द्वारा प्रस्तुत उद्धरण वित्तीय बोली खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए।
- 10. प्रत्येक निविदा के साथ बयाना जमा के लिए बोली सुरक्षा घोषणा होनी चाहिए।
- 11.यदि कोई अभिकरण गृह-प्रबंधनसेवाओं की संविदा मिलने पर काम करने से इनकार करता है, तो निफ्ट श्रीनगर बोली लगाने वाले को तीन साल की अविध के लिए निलंबित/प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसी तरह, यदि चयनित अभिकरण संविदा के कार्यकाल को संतोषजनक रूप से पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे तीन साल की अविध के लिए निफ्ट के साथ कम करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा
- 12.यदि बोली खुलने और प्राप्त होने की निर्धारित तिथि पर निफ्ट कार्यालय के बंद रहने या अवकाश घोषित होने की स्थिति में बोली जमा करने की तारीख उपरोक्त नियत समय पर अगला कार्यदिवस होगी।
- 13.पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले बोलीदाता अयोग्यता के अधीन हैं यदि:
- 1) उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए फॉर्म (फॉर्मों), विवरणों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत जानकारी दी गई।
- 2) उन्हें किसी विभाग/संगठन द्वारा कालीसूची में/प्रतिबंधित/वर्जित पाया गया।
- 14.अधिक अद्यतन जानकारी/संशोधन के लिए, बोलीदाताओं को निफ्ट श्रीनगर की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। निफ्ट समाचार पत्रों में सूचनाएं जारी करने या व्यक्तिगत पत्राचार करने के लिए



बाध्य नहीं है।

- 15.अभिकरण जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा,श्रम कानूनों या किसी भी अन्य लागू कानून केन्द्रीय या राज्यीय के संबंध में सांविधिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए सभी कानूनों, विनियमों, नियमों और निर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, वाणिज्यिक कर, नगर निगम आदि के साथ पंजीकरण भी शामिल हैं। ऐसे सभी सांविधिक पंजीकरणों की स्व-सत्यापित प्रतियों को निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 16. गृह-प्रबंधन कर्मचारी-वर्ग को सर्दी और गर्मी के लिए वर्दी के 2 जोड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वित्तीय बोली में सेवा शुल्क उद्धृत करते समय बोलीदाता ऐसी लागत/व्यय के आवश्यक प्रावधानों को बताएँगे।
- 17. अभिकरण निफ्ट परिसर में प्रभारी संपदा अधिकारी के साथ संपर्क करेगा और गृह-प्रबंधन सेवाओं की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को जब भी जांचने की आवश्यकता हो, उन्हें रिपोर्ट करेगी। अभिकरण समय-समय पर पदधारित अधिकारी को पूरा सहयोग देगी।
- 18.ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को समय-समय पर प्रचलित निफ्ट के विभिन्न नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
- 19.निफ्ट श्रीनगर और अभिकरण की एक संयुक्त सिमिति (निफ्ट श्रीनगर से दो सदस्य और अभिकरण से एक सदस्य) के माध्यम से उम्मीदवारों की जाँच के बाद चयनित अभिकरण निफ्ट श्रीनगर में गृह-प्रबंधन कर्मचारी-वर्ग को परिनियोजित करेगा।
- 20. ठेकेदार सभी मौजूदा श्रम कानूनों और अधिनियमों जैसे कि अनुबंध श्रम विनियमन अधिनियम, कर्मकार मुआवजा अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आदि का पालन करेगा। संविदा की वैधता के दौरान लागू किसी भी श्रम कानून के गैर-अनुपालन के संबंध में ठेकेदार की ओरसे किसी भी चूक या उल्लंघन के मामले में ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और यदि ठेकेदार की ओर से चूक के लिए संस्थान को उत्तरदायी ठहराया जाता है तो ठेकेदार संस्थान को क्षतिपूर्ति करेगा।
- 21.ठेकेदार निफ्ट को ठेका कार्य करने के लिए लगे सभी कामगारों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जिसमें नाम, आयु, घर का पता, योग्यता आदि का उल्लेख होगा और इस विवरण में जब भी कोई परिवर्तन होगा तो सूचित करेगा। ठेकेदार किसी भी समय किसी अवयस्क को संविदा के तहत काम करने के लिए नियुक्त नहीं करेगा
- 22. ठेकेदार यह वचन देगा कि उसके कर्मचारियों द्वारा चोरी सिहत किसी भी प्रकार की भूल-चूक एकमात्र उसकी जिम्मेदारी होगी और साथ ही वह, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने कर्मचारियों के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षित या चोरी के लिए संस्थान को तुरंत क्षितिपूर्ति करेगा।
- 23.किसी भी पक्ष (निफ्ट श्रीनगर या अभिकरण) को दूसरे पक्ष को 30 दिन का नोटिस देकर संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।



- 24.उपरोक्त के बावजूद, यदि अभिकरण संविदा या भारत सरकार के किसी भी मानदंड का उल्लंघन/अतिक्रमण करता है तो निफ्ट के पास अभिकरण को बिना सूचना अवधि दिए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है।
- 25.यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि सफल बोलीदाता द्वारा संविदा को उपट्टे पर दिया गया है या किसी अन्य संस्था को सौंपा गया है तो संस्थान सफल बोलीदाता को कोई समय दिए बिना संविदा को तुरंत समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 26. ठेकेदार और उसके कर्मचारी निफ़्ट प्राधिकारियों की और से समय-समय पर दिए गए अनुदेशों औए निदेशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी आपात स्थिति में ठेकेदार का कर्मचारी ठेकेदार से पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना निफ़्ट प्राधिकारियों द्वारा दिये गए अनुदेशों का पालन करेगा।
- 27. संविदा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, निष्पादन प्रतिभू जमा करने संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए वैध होगा। तथापि, संविदाकार की संतोषजनक सेवाओं/कार्यनिष्पादन के आधार पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर वार्षिक आधार पर दो वर्ष की अविध के लिए संविदा का नवीनीकरण किया जा सकता है। यदि अभिकरण की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो संविदा की अविध पूरी होने से पहले ही संस्थान द्वारा संविदा को समाप्त किया जा सकता है, जो अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।
- 28. इस ठेके के तहत कार्य करने के लिए ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों को ठेकेदार के अभिकरण के कर्मचारी माना जाएगा। अभिकरण उनके वेतन, अनुषंगी लाभों, आचरण, कार्य तालिका, अवकाश अभिलेख, भार-मुक्ति आदि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 29.अभिकरण अपने कर्मियों को फोटो पहचान-पत्र भी उपलब्ध कराएगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा गार्डों द्वारा जांचा जाएगा।
- 30.अनुबंध में उल्लिखित किसी भी निबंधन और शर्तों का पालन न करने को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा।
- 31.गृह-प्रबंधन ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी बीड़ी, सिगरेट या मादक पेय का सेवन नहीं करेंगे और न ही उन्हें परिसर में पान, गुटखा, तंबाकू सामग्री आदि चबाने की अनुमति होगी।
- 32.चयनित अभिकरण को 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागज़ पर निफ्ट श्रीनगर के साथ एक समझौता करना होगा, जिसमें इस सूचना आमंत्रित निविदा के प्रासंगिक खंडों के साथ-साथ अन्य पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें भी शामिल होंगी।
- 33. संविदा के उल्लंघन के लिए संविदा में निहित दंडात्मक प्रावधानों के बावजूद, यदि ठेकेदार किसी अप्रत्याशित घटना खंड के तहत हुई घटना के परिणाम स्वरूप संविदा में दिए गए अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो जाता है तो ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा।



34.निफ्ट श्रीनगर के पास संविदा के सफल संचालन के लिए किसी भी कठिनाई/विसंगति को दूर करने का अधिकार होगा।

विशेष निबंधन और शर्तें:-

- 35. प्रस्तावित सेवा (सेवाओं) के लिए आवश्यक विभिन्न श्रेणी की गृह-प्रबंधन सेवाओं की दरें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम नहीं होंगी। मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय(सी) नई दिल्ली, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/26/(5)/2019-LS-II दिनांक 28/10/2021 के आधार पर न्यूनतम मजदूरी के अनुसार क्षेत्र ब के लिए अकुशल वर्ग के अंतर्गत वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी रु 546.प्रतिदिन है। इसलिए, सफाई कर्मचारियों के लिए मासिक मूल वेतन (26 दिनों के लिए) 14,196/- रुपये (546 x 26 दिन) दिया जाता है।
- 36. दर प्रति वर्ग फीट कालीन क्षेत्र के अनुसार बताई/उद्धृत की जानी है। इस प्रयोजन के लिए कालीन क्षेत्र आंतरिक ढके हुए स्थानों जैसे कमरे, वॉशरूम, गिलयारे, सीढ़ियों आदि तक सीमित होगा। निफ्ट परिसर और छात्रावास के खुले क्षेत्र जैसे पार्किंग स्थल, लॉन, उद्यान, बाहरी-परिधि, सड़कें, रास्ते आदि कालीन क्षेत्र की गणना में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, चयनित अभिकरण को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इन खुले क्षेत्रों की सफाई और रखरखाव करना होगा। बोलीदाता दरें उद्धृत करते समय इसके लिए प्रावधान रख सकते हैं।
- 37.सेवा प्रदाता को अधिकतम 4000 वर्ग फीट कालीन क्षेत्र में कम से कम एक सफाई कर्मचारी परिनियोजित करना होगा। हालांकि, निफ्ट अपने विवेकानुसार किसी क्षेत्र के लिए व्यक्ति (व्यक्तियों) के परिनियोजन को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 38.सफाई के उद्देश्य से संबंधित सभी सामग्री और मशीनरी की उचित मात्रा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सामग्री और मशीनरी की सूची परिशिष्ट-I पर है। हालांकि, सामग्री की उपयुक्तता के विवाद के मामले में, निफ्ट का निर्णय अंतिम होगा।
- 39.बोलीदाताओं को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले क्षेत्र के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए निफ्ट परिसर और छात्रावास का दौरा कर लें।
- 40.चयनित अभिकरण /कंपनी को स्वीकृति/आशय पत्र (एलओए/एलओआई) जारी होने के 10 दिनों के भीतर कानूनी समझौते के निष्पादन, प्रदर्शन प्रतिभूति जमा आदि की प्रस्तुति सहित सभी



औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और अभिकरण को संविदा प्रदान होने के 15 दिनों के भीतर गृह प्रबंधन सेवाओं को परिनियोजित करना होगा।

- 41.सभी सेवाएं इन सेवाओं को करने में कुशल व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की जाएंगी। सभी उपभोज्य, अपमार्जक, रसायन जैसे (नेफ़थलीन की गोलियाँ, रूम फ्रेशनर, मच्छर/कीट विकर्षक, तरल साबुन, कॉलिन, फिनाइल) उपकरण, मशीनरी आदि की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा की जाएगी।
- 42.कार्यालय के निर्धारित परिसरों (सामान्य स्थानों को छोड़कर) में कार्यालय खुलने से पहले यानी सुबह 9.30/ 10.00 बजे से पहले सफाई पूरी कर ली जानी चाहिए ताकि सफाई के उद्देश्य से कार्यालय में काम बीच में बाधित न हो। सभी कार्य दिवसों में सामान्य कार्य घंटे सुबह 09 बजे से शाम 5:30 बजे तक हैं।
- 43. अभिकरण द्वारा परिनयोजित गृह प्रबंधन व्यक्ति के खिलाफ कोई पुलिस रिकॉर्ड/आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। अभिकरण जिन व्यक्तियों को नियुक्त करता है उसे उनके चिरत्र और पूर्ववृत्त के बारे में पर्याप्त जांच कर लेनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के चिरत्र और पूर्ववृत्त को उनके पिरिनियोजन से पहले सेवा प्रदाता द्वारा स्थानीय पुलिस के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा तथा निवास का प्रमाण, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाते का विवरण, पिछले कार्य का अनुभव, और हाल ही की तस्वीर और इस आशय का एक प्रमाण पत्र निफ्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। सेवा प्रदाता यह भी सुनिश्चित करेगा कि परिनयोजित कर्मी स्वस्थ हो। ऐसे कर्मचारी जो निफ्ट द्वारा किसी भी कारण से उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं,उन्हें सेवा प्रदाता निफ्ट से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर तुरंत वापस लेंगे। ऐसी अपेक्षाएं पुनः पंजीकृत गृह प्रबंधन कर्मचारी वर्ग पर भी लागू होंगी।
- 44.सेवा प्रदाता निफ्ट द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवश्यक व्यक्तियों को नियुक्त करेगा। किमीयों का परिनियोजन मासिक आधार पर किया जाना है। इस तरह, किमीयों का परिनियोजन /व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि किसी भी अवकाश नियम और साप्ताहिक अवकाश के दिनों का अतिक्रमण न हो। ठेकेदार/सेवा प्रदाता को किमीयों को इस कार्यभार/कार्य घंटे या साप्ताहिक अवकाश उपलब्ध कराने के लिए खर्च वहन करना होगा। सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त व्यक्ति सेवा प्रदाता के किमीयों होंगे और प्रत्येक माह उनके वेतन का भुगतान करना सेवा प्रदाता का कर्तव्य होगा।
- 45.यदि अभिकरण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को कोई शिकायत है, तो वे परिसर में अशांति फैलाए बिना अभिकरण के सामने ऐसे मामलों को उठाएंगे। अभिकरण के कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में निफ्ट परिसर में आंदोलन के साधनों का सहारा नहीं लेंगे। संविदा की समाप्ति पर अभिकरण बिना किसी व्यवधान के सभी श्रमिकों के साथ शांति से परिसर छोड़ने की ज़िम्मेदारी लेगी। यदि अभिकरण द्वारा नियुक्त कर्मचारी दुर्व्यवहार करते हैं या समस्याएँ पैदा करते हैं तो पूरी ज़िम्मेदारी एकमात्र अभिकरण की होगी।



- 46.सेवा प्रदाता निफ्ट में परिनियोजित गृहप्रबंधन व्यक्ति को सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उचित वर्दी के दो सेट प्रदान करेगा। वर्दी की लागत अभिकरण द्वारा वहन की जाएगी।
- 47. सेवा प्रदाता के कर्मचारियों और निफ्ट के बीच कोई स्वामी और सेवक संबंध नहीं है। इसके अलावा, सेवा प्रदाता का कर्मचारी निफ्ट में किसी तरह के आमेलन का दावा नहीं करेगा।
- 48.सेवा प्रदाता का व्यक्ति निफ्ट से/में सेवाओं के किसी लाभ/मुआवजे/आमेलन/नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा।
- 49.सेवा प्रदाता के कर्मचारी कार्यालय, परिचालन प्रक्रिया, तकनीकी जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक/संगठनात्मक मामलों के किसी भी विवरण को किसी भी व्यक्ति को प्रकट या घोषित नहीं करेंगे क्योंकि सभी गोपनीय/गुप्त प्रकृति के हैं।
- 50.आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सांविधिक प्राधिकरण के निरीक्षण के लिए निफ्ट के परिसर में पंजी/ रजिस्टर उपलब्ध करने होंगे। उदाहरण के लिए, व्यक्तियों का रजिस्टर, नियोजितों का रजिस्टर, उपस्थित नामावली, मजदूरी का रजिस्टर, कटौतियों का रजिस्टर, अतिरिक्त समय(ओटी) का रजिस्टर, जुर्माने का रजिस्टर, अग्रिमों का रजिस्टर आदि।
- 51.सौंपे गए कार्य को संभालने समय सेवा प्रदाता के किर्मियों को विनम्न, सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और कुशल होना चाहिए। सेवा प्रदाता द्वारा परिनियोजित व्यक्तियों की ओर से किए गए अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य के लिए सेवाप्रदाता जिम्मेदार होगा। अभिकरण अपने किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान नशे में होने, अतिक्रमण करने या निफ्ट के हित के लिए हानिकारक या प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिए बाध्य होगी। खंड के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम और अभिकरण पर बाध्यकारी होगा।
- 52.नियुक्त किए गए व्यक्ति कम से कम 8वीं पास होंगे और 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे और वे निफ्ट के कर्मचारियों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तथापि, जिन मामलो में कर्मी को निफ़्ट में एक वर्ष का अनुभव हो गया है उनमें यह बात लागू नहीं होगी
- 53.अभिकरण द्वारा परिनियोजित सभी गृह-प्रबंधन व्यक्तियों पर नियमानुसार अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश लागू होगा।
- 54.अभिकरण अपने कर्मचारियों को सरकार के मानदंडों के अनुसार उचित छुट्टी देगी। इस प्रयोजन के लिए, निफ्ट पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के अभिकरण छुट्टी रिज़र्व की सेवाओं को परिनियोजित करेगा।
- 55.यदि चयनित अभिकरण द्वारा प्रदान किया गया बाह्य स्रोत कर्मचारी अपेक्षित योग्यता/अनुभव होने के बावजूद कार्य के लिए उपयुक्त नहीं लगता है, तो अभिकरण तुरंत उस कर्मचारी को नए कर्मचारी के साथ बदल देगा।



- 56.अभिकरण द्वारा परिनियोजित कर्मियों पर कार्यात्मक नियंत्रण निफ्ट के पास होगा और अनुशासनात्मक प्रशासनिक/तकनीकी नियंत्रण अभिकरण के पास होगा।
- 57.निफ्ट सेवा प्रदाता से सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों, जो अक्षम हो या उसके कदाचार के लिए कार्य स्थल से बर्खास्त करने या हटाने का अनुरोध कर सकता है और सेवा प्रदाता ऐसी आवश्यकता होने पर तुरंत अनुपालन करेगा।
- 58.ठेकेदार सभी मौजूदा श्रम कानूनों और अधिनियमों जैसे कि संविदा श्रम विनियमन अधिनियम, कर्मकार मुआवजा अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम आदि का पालन करेगा। संविदा की वैधता के दौरान लागू किसी भी श्रम कानून के गैर-अनुपालन के संबंध में ठेकेदार की और से किसी भी चूक या उल्लंघन के मामले में ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और यदि इस मामले में ठेकेदार की ओर से चूक के लिए संस्थान को उत्तरदायी ठहराया जाता है तो ठेकेदार संस्थान को क्षतिपूर्ति करेगा।
- 59.सेवा प्रदाता को अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों को काम करने के लिए फोटो पहचान पत्र प्रदान करना होगा। यह पहचान-पत्र हमेशा कार्मिकों के पास दिखने चाहिए और इसके खोने पर तुरंत सूचना दी जानी चाहिए।
- 60.अभिकरण प्रत्येक गृह प्रबंधक के प्रदर्शन के साथ-साथ सभी गृह-प्रबंधन सेवाओं के अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए निफ्ट के प्रत्येक परिसर में अपने स्वयं के पर्यवेक्षकों का परिनियोजन करेगा। निफ्ट ऐसे पर्यवेक्षकों के लिए किसी अतिरिक्त रकम का भुगतान नहीं करेगा।
- 61.परिनियोजित पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी गृह-प्रबंधन सेवाएं सावधानीपूर्वक प्रदान की जा रही हैं और वे सभी संबंधित अनुभागों से प्रदर्शन प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे जो मासिक बिल का एक भाग बनाने के लिए अभिकरण द्वारा आधिमानित किया जाएगा।
- 62. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आदि सहित समय-समय पर लागू होने वाले सभी संबंधित विधानों के तहत सभी सांविधिक दायित्वों के अनुपालन में अभिकरण अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को मजदूरी के भुगतान के लिए पूरी तरह और विशेष रूप से जिम्मेदार होगा तथा निफ्ट किसी भी बाध्यता के कारण अभिकरण द्वारा नियोजित व्यक्तियों पर किसी भी व्यय का कोई दायित्व नहीं उठाएगा। अभिकरण को निफ्ट में लगे अपने कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा का ब्यौरा देना होगा। अभिकरण को विधि के सभी सांविधिक प्रावधानों, अधिनियम के नियमों और विनियमों का अनुपालन करना है तथा समय-समय पर कानून में किसी भी प्रकार के संशोधन के बारे में निफ्ट को सूचित करना है।
- 63.सेवा प्रदाता को हर समय संपर्क में रहना होगा तथा निफ्ट से फोन/ई-मेल/फैक्स/विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजे गए संदेशों की उसी दिन प्राप्ति पर तुरंत पावती देनी होगी। सेवा प्रदाता संविदा की पूर्ति में समय-समय पर निफ्ट द्वारा जारी अनुदेशों का कड़ाई से पालन करेगा।
- 64.निफ्ट सेवा प्रदाता के कर्मियों के किसी भी व्यक्तिगत सामान, उपकरण या वाहनों की किसी भी हानि, क्षति, चोरी या लूट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।



- 65. सेवा प्रदाता अपनी ओर से और अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा ज़िम्मेदारी ली गई सेवाओं को पूरा करने की प्रक्रिया में सामान, सामग्री और उपकरण आदि क्षतिग्रस्त नहीं हैं तथा अपने कर्मचारियों आदि की ओर से की गयी भूल-चूक के लिए जिम्मेदार होगा। यदि अभिकरण के कर्मचारियों/अभिकर्ताओं की ओर से लापरवाही, चूक या चोरी के कारण निफ्ट को कोई नुकसान या क्षति होती है, तो अभिकरण निफ्ट को प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा। अभिकरण ऐसे किसी भी नुकसान या क्षति के लिए निफ्ट को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा। अभिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी कर्मचारी के साथ काम करने के दौरान होने वाली कोई भी दुर्घटना/ हताहत की जिम्मेदारी अभिकरण की होगी। अभिकरण के किसी भी कर्मचारी को काम करने के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या हताहत के लिए, दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दायित्व अभिकरण द्वारा वहन किए जाएंगे। इन सबकी जिम्मेदारी अभिकरण की होगी और निफ्ट इसके लिए या ऊपर उल्लिखित किसी अन्य खंड के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 66. सेवा प्रदाता निफ्ट की पूर्व लिखित सहमित के बिना सेवाओं के निष्पादन को समनुदेशित, हस्तांतरित, गिरवी नहीं रखेगा, न ही उप-संविदा पर देगा।
- 67.निफ्ट में कर्मियों के परिनियोजन से पहले बोलीदाताओं को संबंधित विभाग / सर्कल / प्रभाग / अन्य इकाइयों के लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
- 68.यदि बोलीदाताओं पर कर्मियों की मजदूरी, भत्ते और सांविधिक देय राशि या निफ्ट की संपत्ति को किसी भी नुकसान के लिए कोई राशि देय पाई जाती है तो इसे वसूली के अन्य तरीकों के माध्यम से घाटे की रकम की वसूली का अधिकार, जिसमें बिना सूचना दिए समझौते को समाप्त करने का अधिकार शामिल है, के अंतर्गत देय राशि को सुरक्षा जमा से निर्धारित राशि की सीमा तक समायोजित किया जाएगा।
- 69.निफ्ट के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और निफ्ट का निर्णय सभी बोलीदाताओं के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 70.यदि परिनियोजित कर्मचारी काम के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता/पाए जाते हैं, तो ठेकेदार को उस कर्मचारी/कर्मचारियों को तुरंत बदलना होगा। संयुक्त निदेशक या उनके प्रतिनिधि से लिखित सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अभिकरण द्वारा आवश्यक दक्षताओं वाले व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति नहीं करने की स्थिति में या अक्षम व्यक्ति/अननुशासनात्मक व्यक्ति आदि की प्रतिनियुक्ति करने की स्थिति में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 71.चयनित फर्म गृह प्रबंधन व्यक्ति की उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का पूरा सेट स्वयं स्थापित करेगी। बॉयोमीट्रिक मशीन के पूर्ण सेट-अप की स्थापना या नियमित रखरखाव के मामले में निफ्ट कोई लागत वहन नहीं करेगा।
- 72.संविदा में उल्लिखित किसी भी निबंधन और शर्तों का पालन न करने को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा।



73.बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अपसामान्य रूप से कम बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसा करने से पहले, निफ्ट श्रीनगर अपने विवेकानुसार बोलीदाता से लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है जिसमें कार्य-क्षेत्र, अनुसूची, जोखिम और जिम्मेदारियों के आवंटन और बोली दस्तावेज की किसी भी अन्य आवश्यकताओं के संबंध में इसकी बोली मूल्य का विस्तृत मूल्य विश्लेषण शामिल है। यदि, मूल्य विश्लेषण का मूल्यांकन करने के बाद, निफ्ट श्रीनगर यह निर्धारित करता है कि बोलीदाता प्रस्तावित मूल्य बोली पर संविदा देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में काफी हद तक विफल रहा है, तो बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा और संविदा को वित्तीय रूप से संतुलित बोली लगाते हुए अगले एल 1 को प्रदान किया जाएगा।

ख) मध्यस्थता:-

- 1. सेवा अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवाद, यदि कोई हो, को पार्टियों के बीच आपसी चर्चा द्वारा 30 दिनों के भीतर सुलझाया जाएगा।
- 2. यदि किसी एक पक्ष द्वारा सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पक्षों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण समाधान या समझौता नहीं होता है, तो विवाद/मतभेदों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निफ्ट निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के पास मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।
- 3. निबंधनों और शर्तों की व्याख्या के संबंध में निफ्ट का निर्णय अंतिम और अभिकरण पर बाध्यकारी होगा।
- 4. मध्यस्थता की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थ सशब्द और उचित अधिनिर्णय देगा।
- 5. ऊपर बताए अनुसार मध्यस्थता की विफलता के मामले में, श्रीनगर/बडगाम (जम्मू और कश्मीर) में उपयुक्त अदालतों के पास मामले पर न्यायनिर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

ग) वित्तीय निबंधन व शर्तें:-

- 1. ठेकेदार मासिक बिल के साथ निफ्ट श्रीनगर को निफ्ट के अभिहित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित बायोमेट्रिक उपस्थिति पत्रक की प्रतियां जमा करेगा। जीएसटी रिटर्न के साथ ईसीएस, ईएसआई, ईपीएफ जमा के चालान की प्रमाणित प्रति के साथ पिछले महीने के वेतन रजिस्टर की प्रतियां भी हर बिल के साथ जमा करनी होंगी।
- 2. निफ्ट भविष्य निधि, ईएसआई, कामगार मुआवजा, बोनस, पेंशन लाभ या भत्ते जैसे लाभों को जारी करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि, संविदा की वैधता अविध में न्यूनतम मजदूरी अिधनियम या किसी अन्य श्रम कानून या ईपीएफ, ईएसआई आदि सिहत अन्य सांविधिक दायित्वों के तहत मुल



वेतन में कोई भी वृद्धि भारत सरकार के सुसंगत अनुदेशों पर विचार करने के बाद निफ्ट द्वारा वहन की जाएगी। इसी तरह, यदि सांविधिक दायित्वों की दर घटती है, तो अभिकरण के मासिक बिलों में भी इस राशि को घटाया जाएगा।

- 3. ठेकेदार के बिलों का भुगतान करते समय प्रचलित कानूनों के अनुसार आयकर की कटौती स्रोत पर की जाएगी।
- 4. जिस अभिकरण को ऑर्डर दिया जाएगा उसे निष्पादन प्रतिभूति(यानी 12 महीने के लिए संविदा के मूल्य का 3% निफ्ट श्रीनगर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / बीजी के रूप में जमा करना होगा, जो श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में देय होना चाहिए) तथा अभिकरण के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। हालांकि, अभिकरण द्वारा प्रदान की गई असंतोषजनक सेवा या समझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में निफ्ट द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- 5. तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद सूचीबद्ध बोलीदाताओं में से गृह प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय बोली में दिए गए सेवा शुल्क/लाभ गुंजाइश के तहत उद्धृत दर के आधार पर न्यूनतम एल1 बोली ई-निविदा को अंतिम रूप देते समय तय की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक निविदाकार समान दरों/समान लाभ गुंजाइश को उद्धृत करते हैं, तो निविदा प्रस्तुत करने के समय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार समान सरकारी संगठनों में गृह प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का अधिकतम अनुभव रखने वाले निविदाकार को वरीयता दी जाएगी। समिति की सिफारिशें और निदेशक, निफ्ट श्रीनगर का निर्णय सभी प्रकार से अंतिम होगा और सभी निविदाकारों को स्वीकार्य होगा।

घ) कर्मचारियों का वेतन:-

- 1. केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार ठेकेदार सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा। हालांकि, अनुबंध की वैधता अवधि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या किसी अन्य श्रम कानून या ईपीएफ, ईएसआई आदि सहित अन्य सांविधिक दायित्वों के तहत मूल वेतन में कोई भी वृद्धि भारत सरकार के सुसंगत अनुदेशों पर विचार करने के बाद निफ्ट द्वारा वहन की जाएगी। इसी तरह, यदि सांविधिक दायित्वों की दर घटती है, तो अभिकरण के मासिक बिलों में भी इस राशि को घटाया जाएगा।
- 2. ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों को भुगतान की जा रही मजदूरी के पूरे विवरण के साथ हर महीने वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से जारी करेगा। वेतन विवरण निफ्ट श्रीनगर परिसर में सूचना पट्ट पर भी लगाया जाएगा।



- 3. सेवा प्रदाता और उसके कर्मचारी ईपीएफ, ईएसआई आदि में उन सभी सांविधिक दायित्वों के लिए अंशदान देंगे, जो समय-समय पर जारी सरकारी अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुसार अनिवार्य हैं। निफ्ट में परिनियोजित कर्मियों के लिए अलग चालान और ईसीआर, बिल के साथ जमा किए जाएंगे और ये उस सेवा प्रदाता के अन्य सदस्यों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वेतन का भुगतान और संबंधित अधिकारियों को उस महीने के लिए भुगतान का प्रेषण करने के बाद, सेवा प्रदाता महीने की 15 तारीख को या उससे पहले प्रतिपूर्ति के लिए निफ्ट को दो प्रतियों में बिल देगा और बिल का निपटारा 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। बिल को उपस्थिति विवरण, बैंक में गृह प्रबंधन कर्मियों के संबंध में उस महीने के लिए प्रेषित मजदूरी का ईसीएस विवरण और सांविधिक भुगतान यानी ईपीएफ/ईएसआई प्रेषण चालान, फॉर्म -7 आदि के साथ विशेष रूप से निफ्ट के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 4. ठेकेदार को बाद के महीने के भुगतान का दावा करने के लिए पिछले महीने के पीएफ और ईएसआई बकाया के भुगतान के प्रमाण जमा करने होंगे। बिल जमा करते समय, सेवा प्रदाता को निम्नलिखित प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र दाखिल करना होगा:
 - गृह-प्रबंधन कर्मियों का वेतन उनके बैंक खाते में दिनांक.... को जमा किया गया:
 (बैंक विवरण की प्रति संलग्न की जाए)
 - गृह-प्रबंधन कर्मियों की राशि से संबंधित ईपीएफ अंशदान रु..... दिनांक:... को जमा किए गए। (ईसीआर व चालान की प्रति संलग्न की जाए)
 - गृह-प्रबंधन कर्मियों की राशि से संबंधित ईएसआई अंशदान रु.॥ दिनांक:... पर जमा किए गए (फॉर्म -7 और चालान की प्रति संलग्न की जाए)।
 - हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित सभी सांविधिक श्रम कानूनों का पालन कर रहे हैं।
- 5. मासिक बिल जमा करते समय, ठेकेदार स्पष्ट रूप से सभी श्रमिकों का वेतन विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें अनुरोध किया जाएगा कि मजदूरी बैंक में बनाए गए उनके व्यक्तिगत खातों में जमा की जाए। निफ्ट बैंक से श्रमिकों को भुगतान किए गए वेतन को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 6. ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक योग्य कर्मचारी ईएसआई अधिनियम 1948 और ईपीएफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत संरक्षित किया गया है।
- 7. भुगतान पूर्णतया संतोषजनक कार्य और नियोजित श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।
- 8. ठेकेदार को मासिक बिलों के साथ पीएफ और ईएसआई के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।



ङ) कार्य का दायरा:-

निफ़्ट परिसर में संविदा की अवधि में नीचे दिये गए विवरण के अनुसार सफाई सेवाएँ प्रदान करना:

क) दैनिक सेवाएं:

- 1. पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों और पुस्तकों के रैक की दैनिक सफाई और झाड़न।
- 2. कार्यालय खुलने से पहले फर्श, गलियारों, सीढ़ियों, भंडारघर में झाड़ू-पोंछा लगाकर उचित और प्रभावी सफाई तथा सभी मंजिलों, शौचालयों, कार्यालय कक्षों और पूरे परिसर में पानी और अनुमोदित अपमार्जक के साथ सफाई।
- 3. पूरे दिन नियमित अंतराल पर कोरागस को हटाने, कीटाणुशोधन और दुर्गन्ध दूर करने सहित शौचालयों की उचित और प्रभावी सफाई।
- 4. प्रतिष्ठित ब्रांडों के उचित उपकरण, सफाई उपकरण, डिटर्जेंट / सफाई एजेंटों, कीटाणुनाशक, स्क्रबर, नेफ़थलीन की गोलियाँ, विकर्षक, स्प्रेयर, तरल साबुन की बाल्टी, टोकरी, झाड़ू आदि सिहत सभी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करके दैनिक और जरूरत के आधार पर कमरे, गलियारे, ग्रिल, दरवाजे, खिड़की के जुड़नार सिहत फर्श क्षेत्रों तथा फिटिंग सिहत लाइट, पंखे आदि का दैनिक रखरखाव और सफाई।
- 5. परिसर में फर्नीचर, खिड़िकयां और कांच के शीशे अंदर और बाहर से, दरवाजे, कंप्यूटर उपकरण, टेलीफोन उपकरण, नोटिस बोर्ड, फूलदान, कलाकृतियाँ, चित्र, पेंटिंग और मशीनों आदि सभी वस्तुओं की धूल झाड़ना।
- 6. कालीन-फर्श और चटाइयों की वैक्यूम सफाई।
- 7. प्रतिदिन नियमित रूप से एयर फ्रेशनर का छिड़काव।
- 8. शौचालयों में तरल साबुन उपलब्ध कराना और मूत्रालयों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में नेफ़थलीन की गोलियां/टिकिया रखना। तरल साबुन डिस्पेंसर को किसी भी समय खाली नहीं रखा जाएगा। सभी शौचालयों को दिन में दो बार फिनाइल से धोया जाना चाहिए।
- 9. शौचालय, वॉश बेसिन, सफ़ाई उपकरणों और शौचालय के फर्श की सफाई आवश्यकता के अनुसार की जानी चाहिए।
- 10. कूड़ेदानों से कचरे को हटाना और उचित व्यवस्था के माध्यम से उसका निपटान करना।
- 11.दिन में तीन बार और आवश्यकता के आधार पर फर्श पर गीले पोंछे से सफ़ाई
- 12. उन क्षेत्रों की वैक्यूम सफाई जहां कंप्यूटर स्थापित हैं।



- 13. दैनिक आधार पर टोकरी, बेकार कागज की टोकरियाँ, मकड़ी के जालों की सफाई और सभी एकत्रित अविशष्ट/ कचरा और अन्य अनुपयोगी सामग्री का अधिसूचित डंपिंग क्षेत्रों में निपटारा करना। किसी भी परिस्थिति में इन्हें भवन या आसपास के परिसर में अस्थायी रूप से भी फेंका नहीं जाएगा।
- 14.विद्युत स्विचबोर्ड, लाइट फिक्स्चर, पायंदाज और नामपट्ट की सफाई।
- 15.नालियों, मैनहोल आदि में कुछ भी फँसने पर उसकी सफाई
- 16.कार्यालय भवन और उसके परिसर से मधुमक्खी के छत्ते और मकड़ी के जाले/शहद-जाल हटाना।
- 17. छज्जों और छतों सहित खुले क्षेत्र की झाडू से सफाई।

ख) साप्ताहिक सेवाएं:

- 1. कांच के दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे, साइन बोर्ड, नामपट्ट, पंखे, लैंप शेड, ऊपर लगे प्रकाश जुड़नार की उचित और प्रभावी सफाई।
- 2. प्रतिष्ठित अपमार्जक के साथ फर्श क्षेत्र को धोना और पोंछना।
- 3. सोफा सेट, सभागार कुर्सियों, वर्टिकल ब्लाइंडों की वैक्यूम सफ़ाई।
- 4. स्वछता संबंधी सामान की चमक को नुकसान पहुंचाए बिना अम्ल से सफाई; साबुन, अपमार्जक, मिट्टी के तेल/पेट्रोल या किसी अन्य रसायन के साथ गलियारों, शौचालयों/कमरों में फर्श और दीवारों की सफाई; स्वचालित पोंछों/स्क्रबिंग मशीन का सप्ताह में कम से कम एक बार इस्तेमाल।

ग) मासिक सेवाएं:

- 1. कालीनों (जहां कहीं भी उपलब्ध हो)की धुलाई/सफाई।
- 2. पर्दों (जहां कहीं भी उपलब्ध हो)की धुलाई/सफाई।
- 3. कपड़े की कुर्सियों की धुलाई / सफाई।
- 4. प्रभारी अधिकारी के निदेशों के अनुसार जहाँ भी आवश्यक हो, कार्यालय क्षेत्र के फर्श को फर्श पोंछने की मशीन से साफ किया जाए।
- 5. सीढ़ियों सिहत सार्वजिनक क्षेत्र के फर्श को साबुन और पानी से फर्श पोंछने की मशीन द्वारा अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए ताकि सभी दाग आदि को हटाया जा सके। फर्श को साबुन और पानी से साफ करने के बाद फर्श को ठीक से मोम-पॉलिश किया जाएगा।
- 6. टेबल, कुर्सियों, एडिमरल, प्रदर्शन बोर्ड आदि वस्तुओं को जब भी आवश्यक लगे स्थानांतरित करना।
- 7. सफाई और रखरखाव कर्मचारी-वर्ग कम से कम आठ (08) घंटे / दिन उपस्थित होना चाहिए।



- 8. वर्तमान परिसर-वार अस्थायी कालीन क्षेत्र 16800/- वर्गफुट है जो कि वृद्धि या कमी के अधीन है। तथापि, सफल बोलीदाता को ठेका प्रदान करते समय सटीक क्षेत्र के बारे में सूचित किया जाएगा।
- 36.चयनित अभिकरण आंतरिक सड़कों, लॉन, उद्यान आदि के रखरखाव और सफाई के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस उद्देश्य के लिए, अभिकरण मुख्य भवन से सफाईकर्मी को परनियोजित करेगा। अभिकरण इस सेवा के लिए अलग से शुल्क नहीं लेंगे। तथापि, वे वित्तीय बोली (परिशिष्ट-1) के कॉलम 5 पर दर उद्धृत करते समय ऐसे खर्चों का दायरा रख सकते हैं।



गृह-प्रबन्धन ठेकेदार द्वारा वचनबंध

हमने निफ्ट, श्रीनगर में गृह-प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपरोक्त अनुभाग 'क', 'ख', 'ग', 'घ' और 'ङ' में सूचीबद्ध विभिन्न निबंधन और शर्तों को ध्यान से पढ़ा है। हम इन सभी शर्तों से सहमत हैं और निफ्ट में गृह प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं। हम यह प्रस्ताव शर्तों को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद किसी भी स्रोत से किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव के बिना कर रहे हैं। हमने इस प्रस्ताव को रखने से पहले संस्थान परिसर का निरीक्षण किया है और किए जाने वाले आवश्यक कार्यों से खुद को परिचित कर लिया है। हम ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न शर्तों को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करते हैं।

स्थान:

दिनांक:

पता:	 	
संपर्क सूत्र:		
ई-मेल:-		
· · · · ·		

गृह प्रबन्धक अभिकरण/ठेकेदार के हस्ताक्षर

अभिकरण की मुहर



बोली-सुरक्षा घोषणा फ़ॉर्म

दिनांक: [दिनांक भरें (दिन, माह और वर्ष के रूप में)]
बोली सं.: []
राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स
रंगरेट, श्रीनगर-191132 जम्मू और कश्मीर
मैं/हम अधोहस्ताक्षर और घोषणा करते हैं कि: मैं/हम समझते हैं कि आपकी शर्तों के अनुसार बोलियों को एक बोली-सुरक्षित घोषणा द्वारा समर्थित होना चाहिए। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि यदि हम नीचे सूचीबद्ध बोली-शर्तों के तहत अपने दायित्व का उल्लंघन करते हैं तो हम निफ्ट श्रीनगर के साथ किसी भी संविदा में 3 साल की अवधि तक बोली लगाने के लिए पात्र होने से स्वतः निलंबित हो जाएंगे। शर्तें निम्न हैं: (क) बोली पत्र में निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि में अपनी बोली वापस लेने से; या (ख) बोली की वैधता की अवधि में निफ्ट श्रीनगर द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति के बारे में अधिसूचित किए जाने पर, (1) आवश्यक होने पर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल होने या मना करने पर, या (2) निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल होने या मना करने पर।
हस्ताक्षर नाम दिनांक दिन,[हस्ताक्षर करने की तिथि डालें]
कंपनी की मुहर(जहाँ भी उचित हो)
[टिप्पणी: एक संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली जमा करने वाले संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के नाम पर
बोली-सुरक्षा घोषणा होनी चाहिए।]



फ़ॉर्म-1 <u>तकनीकी बोली</u> <u>निफ्ट श्रीनगर में गृह-प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक-दर संविदा</u>

1.	अभिकरण का नाम	:		
2.	अभिकरण का पता: _			
3.	फ़ोन.:	(मोबा.)	(ईमेल)	
4.	स्वामी/ साझेदार फ़र्म	/कंपनी में से क्या हैं:		

	· ·				
क्र. सं.	आवश्यक दस्तावेज़	संलग्न/संलग्न नहीं	प्रमाण	쿍.	सं.
			(आवश्यक	रूप	से
			दी जाए)		
1.	फर्म के निगमन की तिथि। बताएं कि क्या यह साझेदारी				
	है / या स्वामित्व(प्रमाण के लिए एक प्रमाणित प्रति				
	संलग्न करें)				
2.	ईएमडी के लिए बोली सुरक्षा घोषणा				
	(कंपनी/फर्म के पत्र-शीर्ष पर विधिवत मुहर लगी और				
	हस्ताक्षरित)				
3.	संबंधित संगठन द्वारा जारी किए गए कार्य के सफल				
	समापन के लिए लगातार 3 वर्षों (2018-19, 2019-				
	20, 2020-21) का अनुभव प्रमाण पत्र (कृपया				
	अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 पर दिए विवरण के साथ				
	इसकी सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)				
4.	पिछले तीन वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20 में				
	से प्रत्येक में 20 लाख या उससे अधिक रुपये के वार्षिक				
	आवर्त के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेज।				
	(तकनीकी बोलियों के साथ पिछले 3 वर्षों के				
	टर्नओवर/आईटी रिटर्न के लिए सीए प्रमाणित				
	विवरण/प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)।				



5.	सहायक श्रम आयुक्त/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा जारी संविदा श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र/लाइसेंस	
6.	फ़र्म के जीएसटी नंबर की प्रति	
7.	पिछले 3 वर्षों का आयकर (वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20)	
8.	कर्मचारी भविष्य निधि से पंजीकरण प्रमाण-पत्र	
9.	ईएसआई से पंजीकरण प्रमाण-पत्र	
10.	निविदा के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक में निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों और प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की विधिवत मुहर के साथ हस्ताक्षरित प्रति (हाँ/नही)	
11.	निविदाकर्ता को केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी अन्य संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए। इस संबंध में एक हलफनामा (नोटरीकृत) संलग्न किया जाए।	
13.	फर्म अभिकरणों के श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में शाखा कार्यालय के साथ-साथ पंजीकृत कार्यालय का पता प्रमाण।	

दिनांक:		 _
स्थान:		

प्राधिकृत व्यक्ति का पूरा नाम, हस्ताक्षर और मुहर



परिशिष्ट-1

वित्तीय बोली के लिए प्रोफॉर्मा (फॉर्म-2)

बोलीदाता का नाम:.....

दूरभाष					
जीएसटी सं .					
जीएसटी सं					
गृह-प्रबंधन	सफाई सामाग्री (कॉलम 2)		मशीन उपकरण की	प्रयोगिक	कालीन-
सेवा	सामाग्री	मासिक	मात्रा	कालीन-	क्षेत्र की
(कॉलम 1)		आवश्यकता	(कॉलम 3)	क्षेत्र(वर्ग-फुट में) (कॉलम 4)	प्रति वर्ग- फुट दर)
				(कालम 4)	कुट ५ <i>र)</i> (कॉलम 5)
					, , ,
निफ़्ट परिसर	1) तरल हैंडवॉश-डेटॉल	25 बोतल	<i>1.</i> 200 वॉट	16800 वर्ग	
के कालीन	, (200मि.ली.)		या उससे	फीट,	
क्षेत्र के	<i>2)</i> ओडोनिल क्यूब-	25	अधिक का	हालांकि	
अनुसार	चन्दन		वैक्युम	 वास्तविक	
उचित	<i>3)</i> टॉयलेट क्लीनर-	 15 बोतल	क्लीनर	कालीन क्षेत्र	
गृहप्रबंधन	हार्पिक/लायज़ोल/	। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	(प्रति	स्वीकृति/आशय-	
सेवाएँ दी	क्लींज़ो- 1 ली.		मंज़िल/	पत्र या संविदा	
जाएँ	4) शौचालय में गीला		10000	देने के बाद	
	पोंछा लगाने के लिए	20 बोतल	वर्ग फुट	मापा जाएगा।	
एक	फ़िनायल(1 ली.)		क्षेत्र के		
सफाईकर्मी	<i>5)</i> अम्ल/एसिड सफाई के		लिए एक)		
	्र अस्तार्गाताच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्य				



		l 5		
अधिकतम	लिए अम्ल	20 बोतल	<i>2.</i> 200 वॉट	
4000 वर्ग	(250मि.ली.)		या उससे	
फुट के लिए	<i>6)</i> सूखा पोंछा लगाने के		अधिक के	
	लिए कोलिन	45	गीले	
	(250मि.ली.)	15 बोतल	वैक्युम(प्र	
	<i>7)</i> वॉशबेसिन/सिंक के		ति	
	लिए आधा किलो के		मंज़िल/10	
	् वॉशिंग पाउडर पैकेट	20 पैकेट	000 वर्ग	
			फुट क्षेत्र के	
			लिए एक)	
			3. वैक्युम	
			स्वीपर	
			हेवी ड्यूटि	
			(प्रति	
			मंज़िल/10	
			000 वर्ग	
			फुट क्षेत्र के	
			लिए एक)	
			4. घंटी वाली	
			ट्रोली (प्रति	
			मंज़िल/10	
			000 वर्ग	
			फुट क्षेत्र के	
			लिए एक)	
1		l		



8) नेफ़्थलीन की गो 9) विभिन्न सुगंध रूम फ़ेशनर मि.ली.) (ओडे गोदरेज) 10) मुलायम सूती डर् 11)शौचालय ब्रश- अं आकार	वाले (470 20 ोनिल, ^{स्टर} 100 मध्यम 10	 5. डस्ट ब्लोवर हैवी ड्यूटि (प्रति मंज़िल/10000 वर्ग फुट क्षेत्र के लिए एक) 6. एल्युमिनियम
ब्रश	10	सीढ़ी 6 फीट- 06 संख्या 7. लकड़ी की सीढ़ी 30 फीट- 06 संख्या
13. स्क्रबर	20	8. फुहारक/धूमक मशीन- 02 संख्या9. दिये गए कार्य को
14.बड़े वायपर (18-इं आधार)	च का 15	पूरा करने के लिए यथा आवश्यक अन्य कोई मशीन या उपकरण



16. सड़क साफ करने के लिए खुरदरी झाड़ू 17. टॉइलेट पेपर रोल (दो लेयर) 18. फ़ेस टिशू 10 डिब्बे	
(दो लेयर) 15 रोल	
18. फ़ेस टिशू	
19. हैंड सैनीटायज़र 20 बोतल(100 मि.ली.) 20. सैनीटायज़र स्प्रे	

टिप्पणियाँ:

परिशिष्ट -1 के कॉलम 5 के तहत दर उद्धृत करते समय, बोलीदाता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उद्धृत राशि से निम्नलिखित खर्चे वहन करने होंगे:

- क) कर्मचारियों की मजदूरी
- ख) ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई आदि में कर्मचारी का हिस्सा
- ग) कॉलम 2में ऊपर उल्लिखित सामग्री/उपकरण की लागत
- घ) स्वीपर की वर्दी
- ङ) आयकर के तहत टीडीएस
- च) छुट्टी रिज़र्व का वेतन।
 - 2. आपूर्ति की गई वस्तुएं प्रतिष्ठित ब्रांड की होनी चाहिए और निफ्ट द्वारा तय की गई होनी चाहिए।
 - 3. अभिकरण कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ और ईएसआई के लिए कर्मचारी के अंशदान की कटौती करेगी और उसे संबंधित क्वार्टरों में जमा करेगी।
 - 4. एल-1 का निर्धारण निविदाकर्ता द्वारा परिशिष्ट -1 के कॉलम 5 के तहत भारतीय रुपये में उद्धृत दर की राशि के आधार पर किया जाएगा। यदि दो या दो से अधिक निविदाकार समान दरों/समान लाभ मार्जिन को उद्धृत करते हैं, तो निविदा प्रस्तुत करने के समय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार समान सरकारी संगठनों में गृह प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का अधिकतम



अनुभव रखने वाले निविदाकार को वरीयता दी जाएगी। सिमिति की सिफारिशें और निदेशक, निफ्ट श्रीनगर का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा और बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

5. प्रचलित नियमों के अनुसार निफ्ट द्वारा उद्धृत राशि के अनुसार जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।

घोषणा:

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है। हमने ई-निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है और हम उसका पालन करने की पृष्टि करते हैं। इस बोली के हस्ताक्षरकर्ता संगठन की ओर से ऐसी बोलियों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं।

स्थान:	हस्ताक्षर:
दिनांक:	नाम:
	पद:



परिशिष्ट-2

फर्म के वर्तमान/मौजूदा ग्राहकों का विवरण

क्र. सं.	फर्म का नाम व पता	प्रभारी अधिकारी का नाम, पद व फोन न.	परिनियोजित सफाईकर्मियों की संख्या	संविदा की अवधि	मासिक संविदा राशि (रुपये)	संविदा का कुल मूल्य (रुपये)	अनुभव के कुल वर्ष	संलग्न प्रमाणों की क्र.सं.
				से- तक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9



16823/NIFT/Sgr/Estates/Housekeeping Services/2021/1118

E-TENDER NOTICE FOR HIRING OF HOUSEKEEPING SERVICES AT NIFT, SRINAGAR

National Institute of Fashion Technology (NIFT), Srinagar invites e-tenders for providing Housekeeping services for a period of one year which may be extended on yearly basis for further period of two years subject to satisfactory performance of the agency for its Campus/s etc.

Time schedule for tender process:

Date of tender notification	02-12-2021			
Last date for receipt of duly filled in tenders (Online)	25-12-2021, at 17:00 hrs			
Date and time of the opening of Technical bid of tenders	27-12-2021, at 11:00 hrs			
Date and time of the opening of Financial bid of tenders	To be informed to technically qualified Bidders			
Earnest Money Deposit	"NIL" Bid Security Declaration shall be kept by the bidder inthe BID Documents			

For applying online, the bidder should go through the details contained in the Tender Document available at https://eprocure.gov.in before submitting the bids. Tender document is also available for viewing on the "Tenders" link of the NIFT Srinagar website i.e. https://www.nift.ac.in/srinagar/

<u>Note:</u> In case of any clarification, the bidders can send their queries at <u>estates.srinagar@nift.ac.in</u> or contact +91-7006149501.

Director National Institute of Fashion Technology, Srinagar

Dated: 02-12-2021



Eligibility and Criteria for Selection:

- 1.1) A firm or agency having experience of at least last three consecutive financial years (2018-19, 2019-20, 2020-21) in Housekeeping services to any Government/ Semi-Government/Autonomous Bodies/National level educational Institutions of high repute like IIT, NIFT, NIT CU's/reputed Pvt cos. etc. Satisfactory Performance certificate (mentioning successful completion in terms of compliances of all the statutory obligations including the timely deposition of GST in Govt account) from the institutions/organizations where contract was taken up must be enclosed with the technical bid.
- 1.2) The agency should have annual minimum turnover of **Rs.20 Lakhs or above** in each of the last three financial years i.e. 2017-18, 2018-19, 2019-20 (CA certified statement/certificate for turn over for last three years as mentioned must be enclosed along with technical bids)
- **1.3)** The tenderer shall enclose a **Bid Security Declaration towards EMD** along with BID Documents.
- 1.4) The agency must have a Branch Office at Srinagar for proper supervision, reasonable access in case of day to day requirement, for better coordination with the Housekeeping Agency at the site etc. In case the agency does not have an office in Srinagar, the bidder has to give an undertaking that the office shall be opened in Srinagar within one month of allotment of contract.
- 1.5) The tenderer should not be blacklisted/banned by any Department of the Central or State Government or any PSU or any other organization. A notarized affidavit in this effect must be enclosed along with bid.
- 2.0) Following documents must be enclosed along with Technical Bid
 - Copy of PAN card
 - Copy of the GST Registration of the Firm.
 - ➤ Income Tax return for last 3 years (AY 2017-18, 2018-19, 2019-20).
 - License under Contract Labor Act issued from Assistant Labour Commissioner/Regional Labour Commissioner (not less than 15 workers).
 - Registration certificate/Code No. from EPF
 - ➤ Registration certificate from ESI
 - Certificates in support of point no. 1.1 & 1.2.
 - Turn over- Copy of CA certified statement/certificate for turnover for last 3 years 2017-18, 2018-19, 2019-20.
 - Bid Security Declaration
 - Address proof of Registered Office as well as Branch office at Srinagar/Budgam, J&K of the firm/agencies.
 - Note: Documentary proof of above must be furnished with the technical bid. Absence of any of the above will render the agency in-eligible for opening of the financial bid.



On the basis of information provided in the technical bid, NIFT may verify the details, cross examine, visit the premises and constitute a Committee to recommend the authorities to shortlist the bidders. The decision of the Campus Director for short listing competent and capable to supply required personnel will be final. Price Bids of only shortlisted bidders will be opened for consideration.

The tenderers shall comply with all the requirements under qualifying criteria. Proofs shall be attached with Technical Bid, failing of any of the criteria under Technical Bid will disqualify for opening of price bid.

Submission of Bids

- a. Bids to this tender will be accepted only through the online mode through Central Public Procurement Portal (CPP portal) https://eprocure.gov.in. No other mode of application will be considered and application will not be accepted.
- b. For applying online, the firm should get itself registered at https://eprocure.gov.in.
- c. The tender document can be downloaded from the official website of NIFT Srinagar i.e. https://www.nift.ac.in/srinagar/ and also from CPP portal i.e. https://eprocure.gov.in
- d. The bidder should ensure that it complies with the above requirements before applying for tender. in the presence of such bidders who may wish to be present, either in person or through their authorized representatives (duly supported with authorization letter).

A) GENERAL TERMS AND CONDITIONS: -

- 1. Tender shall be submitted in official tender form only as indicated above. If submitted in any other form the same shall be summarily rejected.
- 2. The schedule issued with the form of tender listing the services to be rendered must not be altered by the tenderer.
- 3. No paper shall be detached from the tender.
- 4. Tenders received after the specified date and time, due to whatever reason will not be entertained.
- 5. Any conditional offers made by the Agency or any alterations/corrections made in the tender form shall not be considered. Similarly, incomplete and unsigned quotations are liable to be rejected.
- 6. As per the Govt. of India policy circular No. 1(2)/2016/MA dated 10th March 2016 relaxation to Startups in public procurement on prior experience & Turn over criteria subject to meeting quality and technical specifications shall be applicable.
- 7. NIFT reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason thereof.
- 8. The rates quoted by the agency should be the reasonable for the scope of work indicated. Any other charges that are leviable should be clearly mentioned.
- 9. The quotation submitted by the Agency should remain valid for a period of 90 days from



the date of opening of financial bids.

- 10. Each tender must be accompanied by Bid Security Declaration towards EMD.
- 11. If any agency which is awarded contract for Housekeeping Services refuses to undertake the work, NIFT Srinagar reserves the right to suspend/ban the bidder for a period of three years. Similarly, if the selected agency fails to complete the tenure of the contract satisfactorily, it shall be banned from engagement with NIFT for a period of three years.
- 12. In the event of the date specified for receipt, opening of bids beings closed or declared as holiday for the NIFT Office, the due date for submission of bids, and opening of bids will be the following working day at the time fixed above.
- 13. The Bidders fulfilling the eligibility criteria, are subject to disqualifications if they have:
 i) Made misleading or false representation in the form(s), statements(s) and attachments(s) submitted.
 - ii) Found to have been backlisted/banned/barred by a department/organization.
- 14. For further updates/ amendments, the bidders are advised to visit the NIFT Srinagar Website. NIFT is not bound to issue the notifications in the newspapers or enter into personal correspondence.
- 15. The Agency shall be liable to compliance of all laws, regulations, rules and directions given by statutory authority with regard to safety, labour laws or any other laws both Central & State in force in the UT of J&K including registrations with the Provident Fund, Employees State Insurance, Commercial Tax, Municipal Corporations etc. Self –attested copies of all such statutory registrations shall have to be enclosed with the tender.
- 16. The Housekeeping Staff should be provided with 2 Sets of Uniforms for Winter and Summer. Necessary provisions of such costs/ expenditure shall be kept by bidder while quoting service charges in financial bid.
- 17. The Agency shall liaise with the Officer in charge Estates at NIFT Campus & report to him as and when required to make checks on day-to-day activities of the Housekeeping services. The Agency shall extend full cooperation to the designated officer from time to time.
- 18. The contractor and his staff must abide by various rules & regulations of NIFT as prevalent from time to time.
- 19. The selected agency shall deploy the Housekeeping Staff at NIFT Srinagar after screening the candidates through a Joint Committee of NIFT Srinagar and agency (Two members from NIFT Srinagar and one member from agency).
- 20. The contractor shall comply with all existing Labour Legislation and Acts, such as Contract Labour Regulation Act, Workman's Compensation Act, Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Provident Fund Act, ESI Act etc. For any lapse or breach on the part of the contractor in respect of non-compliance of any labour legislation in force during the validity of the contract. The contractor would be fully responsible and would indemnify the Institute in case the Institute is held liable for the lapse on the part of the contractor.
- 21. The Contractor shall submit to NIFT a list of all workers engaged to carry out the contract work, indicating name, age, home address, qualification etc. and will intimate as and when any change takes place. The contractor shall not at any time engage any minor to carry out



the work under the contract.

- 22. The contractor shall undertake that any act of omission or commission including theft, by his staff shall be his sole responsibility and further that he would compensate the Institute immediately, any loss or damage or theft occurring on account of his staff individually or collectively.
- 23. Either party (NIFT Srinagar or Agency) shall have the right to terminate the contract by giving 30 days' notice to the other party.
- 24. Notwithstanding above, NIFT reserves the right to terminate the Contract without notice period of the agency breaches/violates the contract agreement or any Govt of India norm.
- 25. If at any time, it is detected that the contract has been sublet or assigned to any other entity by the successful bidder, the Institute shall be at liberty to terminate the contract forthwith without giving any time to the successful bidder.
- 26. The contractor and his staff shall compile with all instructions and directions of the NIFT authorities given from time to time. In the event of any emergent situation, the staff of the contractor shall comply with instructions given by the NIFT Authorities without waiting for confirmation by the contractor.
- 27. The contract shall be valid for a period of one year from the date of completing all the formalities with respect to signing of agreement, deposition of Performance Security. However, the contract may be renewed on yearly basis for further period of two years on mutually agreed terms depending upon satisfactory services / performance of the contractor. In case services of the agency are not found satisfactory, the contract can be terminated by the institute even before the completion of the contract period which should binding to the Agency.
- 28. All the workers engaged by the contractor for carrying out task under this contract, shall be deemed to be the employees of the contractor's agency. The agency shall be solely responsible for their wages, fringe benefits, conduct, duty roster, leave records, relievers etc.
- 29. The agency shall also provide its workers photo identity card which shall be checked by the Security Guards as and when necessary.
- 30. Non-compliance of any terms & conditions enumerated in the contract shall be treated as breach of contract.
- 31. The Housekeeping contractor shall ensure that the staff engaged by him shall not smoke beedies, cigarettes or take alcoholic drinks nor they are allowed to chew paan, gutka, tobacco items etc. at the campus.
- 32. The selected agency will be required to enter into an Agreement with the NIFT Srinagar on a non-judicial stamp paper of Rs 100/- which shall also include the relevant clauses of this NIT as well as other mutually agreed conditions.
- 33. Notwithstanding the punitive provisions contained in the contract for breach of contract the contractor shall not be liable for any such sanction so long as the failure of the contractor in fulfilling its obligations under the contract is the result of an event covered under Force Majeure clause.
- 34. NIFT Srinagar shall have the powers to remove any difficulty/anomaly for successful running of Contract.



Special Terms and Conditions:

- 35. The rates for different category of housekeeping services that may be required for the proposed service(s) shall not be less than the rates of minimum wages prescribed by the Central Government. At present minimum wages for sweepers is Rs. 546/ per day under Unskilled Category for the AREA B, as per Minimum Wages on the basis of OM No. 1/26/(5)/2019-LS-II of dated 28/10/2021 issued by Government of India Ministry of Labour & Employment, Office of the Chief Labour Commissioner(C) New Delhi. Hence, monthly basic wages (for 26 Days) for Sweepers is given Rs 14,196/- (546 x 26 Days)
- 36. The rate is to be quoted per square feet of carpet area. The carpet area for this purpose shall be limited to the internal covered spaces like rooms, washrooms, corridors, stairs etc. The open areas like Parking lots, Lawns, gardens, peripheries, roads, pathways etc. of the NIFT Campus & Hostel shall not be included for calculation of carpet area. However, the selected agency has to clean/sweep and maintain these open areas also without any additional charges. Bidders may keep the provision for same while quoting the rates.
- 37. The service provider shall have to deploy at least one sweeper for maximum of 4000 sq.ft. Carpet area. However, the NIFT reserves the right to change the deployment of person(s) for area at its discretion.
- 38. Appropriate quantities of all material and machinery for cleaning/sweeping purpose shall have to be provided by the service provider. The list of material and machinery is at Appendix-I. However, in case of dispute in arriving at appropriateness of material, the decision of the NIFT shall be final.
- 39. In their own interest the bidders are advised to visit NIFT Campus & Hostel for getting firsthand information regarding area, before participating in the e-Tendering process.
- 40. The selected Agency / Company has to complete the all formalities including execution of Legal Agreement, furnishing of Performance Security Deposit etc within 10 days after the issuance of Letter of Acceptance / Intent (LOA / LOI) and the Agency shall have to deploy the housekeeping services within 15 days of award of the contract.
- 41. All services shall be executed by persons skilled in performing such services. All consumable, detergents, chemicals, like (Naphthalene balls, Room fresheners, mosquito/insect repellents, liquid soaps, Colin, phenyl) equipment's, machineries etc. shall be arranged by the bidder.
- 42. Cleaning should be completed in office cited premises (except common places) prior to opening of office hours i.e. before 9.30 AM / 10.00 AM so that work in office does not get interrupted in the middle for cleaning purpose. The normal duty Hours is 09 Am to 5:30 PM of all working days.
- 43. The housekeeping person deployed by the Agency should not have any Police records/criminal cases against them. The Agency should make adequate enquiries about the character and antecedents of the persons whom they engage and such character and antecedents of persons will be verified by the Service Provider before their deployment



through local police, collecting proofs of residence, driving license, bank account details, previous work experience and recent photograph and a certification to this effect submitted to the NIFT. The service provider will also ensure that the personnel deployed are medically fit. The Service Provider shall withdraw such employees who are not found suitable by the NIFT for any Reasons immediately on receipt of such a request. Such requirements shall also be applicable to the Housekeeping staff re-registered.

- 44. The service provider shall engage necessary persons as required by the NIFT from time to time. The deployment of personnel is to be on monthly basis. Thus deployment/arrangement of the personnel should be in such a manner that there shall be no violations of any leave Rules and weekly off days. The contractor/service provider shall have to bear cost of providing personnel for this work load/ duty hours or weekly offs. The persons engaged by the service provider shall be the employee of the service provider and it shall be the duty of the service provider to pay their salary every month.
- 45. In case the workers engaged by the Agency have any grievances, they shall take it up with the Agency without creating any disturbance on the campus. Under no circumstance's agitation means are to be resorted to by workers of the Agency, on the premises of the NIFT. On the expiry of the contract the Agency shall undertake to leave the premises in peace with all the workers without creating any disturbance. The Agency shall be solely responsible if the workers engaged by it misbehave or creates problems.
- 46. The service provider shall provide two sets of proper uniform to the housekeeping person deployed to the NIFT for both winter and summer seasons. Cost of Uniform shall be borne by Agency.
- 47. There is no Master and Servant relationship between the employees of the service provider and the NIFT. Further, the employee of the service provider shall not claim any absorption in the NIFT.
- 48. The service provider's person shall not claim any benefit/ compensation/ absorption/ regularization of services from/in the NIFT.
- 49. The service provider's personnel shall not divulge or disclose to any person, any details of office, operational process, technical know-how, security arrangements and administrative / organizational matters as all are of confidential/secret nature.
- 50. Registers need to be kept available in the premises of the NIFT for Inspection of any statutory authority as and when required. For example, register of Persons, Employed, Muster Roll, Register of Wages, Register of Deductions, Register of OT, Register of Fines, Register of Advances etc.
- 51. The service provider's personnel should be polite, cordial, positive and efficient, while handling the assigned work. The service provider shall be responsible for any act of indiscipline on the part of persons deployed by him. The agency shall be bound to prohibit and prevent any of their employees from being intoxicated while on duty, trespassing or acting in any manner detrimental or prejudicial to the interest of the NIFT. The decision of the officer In charge upon any matter arising under the clause shall be final and binding on the agency.
- 52. That the persons engaged shall be at least 8th pass and not below the age of 18 years or



- above the age of 60 years and they shall not interfere with the duties of the employees of the NIFT. This shall not however be insisted in those cases having one-year experiences in NIFT set-up.
- 53. Compulsory weekly off as per rule will be applicable to all housekeeping person deployed by the agency.
- 54. The agency shall grant appropriate leave to its staff as per the norms of Govt. For this purpose, the services of leave reserve shall be deployed by the Agency without any additional cost to NIFT.
- 55. In case the outsourced staff provided by the selected agency does not seem to be fit for the job despite of holding the requisite qualifications/experience, the agency shall immediately replace the staff with the new one.
- 56. The functional control over the personnel deployed by the Agency shall rest with the NIFT and the disciplinary administrative/Technical control shall be with the Agency.
- 57. The NIFT may request the service provider to dismiss or remove from the site of work, any person or persons, employed by the service provider, who may be incompetent or for his/her/their misconduct and the service provider shall forthwith comply with such requirements.
- 58. The Tenderer shall comply with all existing Central Govt. Labour Acts, such as Contract Labour Regulation Act. Workmen's Compensation Act, Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Provident Fund Act etc. For any lapse or breach on the part of the Agency in respect of non compliance of any Labour Legislation in force during the validity of the contract, the Agency would be solely responsible and would indemnify the NIFT in case the NIFT is held liable for the lapse on the part of the Agency in this regard.
- 59. The service provider has to provide Photo Identity Cards to the persons employed by him/her for carrying out the work. These cards are to be constantly displayed & their loss reported immediately.
- 60. That the Agency shall deploy their own supervisors to each campus of the NIFT to monitor and supervise over all housekeeping services together with performance of each house keeper. The NIFT shall not pay any extra amount for such supervisors.
- 61. That the supervisors so deployed must ensure that all housekeeping services are being provided meticulously and shall obtain performance certificate from all concerned sections which shall form a part of monthly bill preferred by the agency.
- 62. That the agency shall be wholly and exclusively responsible for payment of wages to the persons engaged by it in compliance of all statutory obligations under all related legislations as applicable to it from time to time including Minimum Wages Act, Employees Provident Fund, ESI Act etc. and the NIFT shall not incur any liability for any expenditure whatsoever on the persons employed by the agency on account of any obligation. The agency shall be required to provide particulars of EPF, ESI of its employees engaged in the NIFT. The Agency need comply all statutory provisions of law, rules and regulations of Act and keep the NIFT informed about any amendment in the law from time to time.
- 63. The service provider shall be contactable at all times and messages sent by phone /e-mail/ fax / special messenger from the NIFT shall be acknowledged immediately on receipt on the



- same day. The Service Provider shall strictly observe the instructions issued by the NIFT in fulfillment of the contract from time to time.
- 64. The NIFT shall not be liable for any loss, damage, theft, burglary or robbery of any personal belongings, equipment or vehicles of the personnel of the service provider.
- 65. That the Service Provider on its part and through its own resources shall ensure that the goods, materials and equipment's etc. are not damaged in the process of carrying out the services undertaken by it and shall be responsible for acts of commission and omission on the part of its staff and its employees etc. If the NIFT suffers any loss or damage on account of negligence, default or theft on the part of the employees/agents of the agency, then the agency shall be liable to reimburse to the NIFT for the same. The agency shall keep the NIFT fully indemnified against any such loss or damage. Any accident/ casualty occurring during the course of working to any staff engaged by the Agency, the responsibility shall rest with the Agency. For any accident or casualty occurring during the course of working to any staff deployed by the Agency, the liability that arises out of the accident shall be borne by the Agency. The responsibility shall rest with Agency and the NIFT shall in no way be responsible for it or for any other clause mentioned above.
- 66. The service provider shall not assign, transfer, pledge or sub contract the performance of services without the prior written consent of the NIFT.
- 67. The bidders shall have to obtain the required license from the licensing authority of respective Department/Circle/Division/Other units before deployment of personnel in the NIFT
- 68. That if any amount is found payable by the bidders towards, wages, allowances and statutory dues in respect of personnel or any loss to the NIFT property, the same shall be adjusted from the security deposit to the extent of the amount so determined reserving right to recover the deficit amount through other modes of recovery including the right to terminate the agreement without notice.
- 69. The NIFT reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason whatsoever and the decision of the NIFT shall be final and binding on all the bidders.
- 70. If the deployed staff is/ are not found suitable for the job, the contractor shall have to replace that staff within immediately. A penalty of Rs 500 per day per person will be imposed in case the agency is not deputing person as of required competencies/incapable person /indiscipline person etc. maximum within a week time of receiving a written communication from the Joint Director or his representative.
- 71. The selected firm will install the complete set up of Biometric machine by his own for marking the attendances for the housekeeping person. NIFT will not bear any cost either in terms of installation or regular maintenance of the complete set up of the biometric machine
- 72. Non-Compliance of any terms & conditions enumerated in the contract shall be treated as breach of contract
- 73. Abnormally low bid submitted by the bidder shall be rejected. Before doing so, NIFT Srinagar at its discretion may seek written clarifications from the Bidder, including detailed price analyses of its bid price in relation to scope, schedule, allocation of risk & responsibilities, and any other requirements of the bid



document. If, after evaluating the price analyses, NIFT Srinagar determines that the bidder has substantially failed to demonstrate its capability to deliver the contract at the offered price bid, the bid shall be rejected forthwith & the contract shall be awarded to next L1 quoting a financially balanced Bid.

B) ARBITRATION:

- 1. Dispute, if any, arising out of the services contract shall be settled by mutual discussion between the parties within 30 days.
- 2. In the event no amicable resolution or settlement is reached between the parties within 30 days after receipt of notice by one party, the dispute/ differences shall be referred to arbitration by sole Arbitrator to be appointed by the Director NIFT as per the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the Rules framed thereunder.
- 3. Decision of NIFT with regard to interpretation of the terms and conditions shall be final and binding on the Agency.
- 4. The language of the arbitration proceedings shall be in English. The Arbitrator shall give a speaking and reasonable award.
- 5. In case of failure of arbitration as explained above, appropriate courts at Srinagar/Budgam (J&K) will have the jurisdiction to adjudicate upon the matter.

C) FINANCIAL TERMS & CONDITIONS: -

- 1. The contractor shall submit to NIFT Srinagar, copies of Biometric attendance sheet duly certified by the designated officer of NIFT along with the monthly bill. Copies of the previous month wage register along with certified copy of challan of ECS, ESI, EPF deposits along with the GST returns must also be submitted with every bill.
- 2. NIFT will not be responsible for the release of benefits such as Provident Fund, ESI, workmen compensation, bonus, pensionary benefits or allowances. However, any increase in Basic Wages under the minimum Wages Act or in any other Labour Legislation or other statutory obligations including EPF, ESI etc during the validity period of the contract shall be borne by the NIFT after considering relevant instructions of Govt of India. Similarly, if the rate of statutory obligations decreases, the corresponding amount shall also be decreased in monthly bills of agency.
- 3. Income-Tax, as per prevalent Laws shall be deducted at source while making payment of contractor's bills.
- 4. The agency to whom order will be placed have to submit the Performance security (i.e. 3% of the value of contract for 12 months in the form of Demand Draft/ BG drawn in favor of NIFT Srinagar, payable at Srinagar, J&K & should be valid for a period of 90 days beyond the date of completion of all contractual obligations of the agency. However, in case of unsatisfactory service provided by the agency or breach of any provision of the agreement, the Performance Security will be forfeited. The decision taken by the NIFT in this regard shall be final.



5. From among the bidders short listed after the evaluation of the Technical Bid. The Lowest -L1 bid will be decided at the time of finalization of E-tender on the basis of rate quoted under Service Charges/ Profit Margin given in the Financial Bid for providing Housekeeping services. In case two or more tenderers quoting same rates/same profit margin, preference will be given to the tenderer having maximum experience of providing Housekeeping services in similar Govt. organizations as per the records submitted by the bidders at the time of submitting the tender. The recommendations of the Committee and the decision of the Director, NIFT Srinagar shall be final in all respect and will be acceptable to all the tenderers.

D) <u>WAGES OF STAFF</u>

- 1. Contractor shall pay minimum wages to all workmen as per the Central Government Minimum Wages Act (as amended from time to time). However, any increase in Basic Wages under the minimum Wages Act or in any other Labour Legislation or other statutory obligations including EPF, ESI etc during the validity period of the contract shall be borne by the NIFT after considering relevant instructions of Govt of India. Similarly, if the rate of statutory obligations decreases, the corresponding amount shall also be decreased in monthly bills of agency.
- 2. Contractor shall compulsorily issue the salary slips to all his employees every month with complete details of wages being paid. Salary statement shall also be put on notice board at NIFT Srinagar Campus.
- 3. The Service Provider and its staff shall contribute towards all statutory obligations towards EPF, ESI etc., which are mandatory as per Government Act, Rules and Regulations issued from time to time. Separate challan and ECR for personnel deployed to NIFT shall be submitted along with the bills and it should not be combined with other members of the same Service Provider. After making the wage payment, remittance of statutory payments to the concerned authorities for the month, the Service Provider shall raise the bill in duplicate to NIFT for reimbursement on or before 15th of the month and the bill will be settled within 10 days. The bill should be submitted along with the attendance statement, ECS statement of wages remitted in respect of Housekeeping personnel in the bank for the month and statutory payments i.e. EPF/ESI remittance challans, Form -7 etc. exclusively for NIFT.
- 4. The Contractor must submit the proofs of payments towards PF & ESI dues of previous month for claiming subsequent month's payment. While submitting the bill, the service provider must file a certificate certifying the following:
 - Wages of Housekeeping personnel were credited to their bank a/c on dt: (copy of bank statement to be enclosed)
 - EPF contribution relating to Housekeeping personnel's amounting to Rs. were deposited on dt: . (copy of challan ECR Copy to be enclosed)
 - ESI contribution relating to Housekeeping personnel's amounting to Rs. were deposited on dt: . (Copy of Form-7 & challan to be enclosed).
 - We are complying with all statutory labour laws including minimum wage act.



- 5. While submitting the monthly bill, the contractor will clearly submit a salary statement of all the workers requesting that the wages to be credited into their individual accounts maintained in the bank. NIFT reserves the right to verify the salary paid to the workers from the bank.
- 6. Contractor shall also ensure that each and every coverable employee is covered under the provisions of ESI Act 1948 and EPF Act 1952.
- 7. The Payment shall be made strictly on satisfactory work and on the basis of Daily attendance of workers engaged.
- 8. The Contractor must submit the proofs of payments towards PF, & ESI along with monthly bills.

E) SCOPE OF WORK

To provide cleaning services at NIFT Campus during the period of contract as per the description given here under:

A. Daily Services:

- i. Daily cleaning and dusting of books and book racks present in the Library.
- ii. Proper and effective cleaning, booming and mopping of floors, corridors, staircases, pantries including sweeping and swabbing all floors, toilets, office chambers, and approaches of all premises with water and approved detergent, before opening of office.
- iii. Proper and effective cleaning, disinfecting, deodorizing of toilets including removal of choragus at regular intervals throughout the day.
- iv. Daily upkeep and cleaning of floor areas, including rooms, corridors, grills, doors, window fixtures and fittings including lights, fans etc. on daily and need basis, by providing all required items including proper tools, cleaning equipment's, detergents/cleaning agents, disinfectants, scrubbers, naphthalene balls, repellents, sprayers, liquid soap buckets, baskets, brooms, etc. of reputed brands.
- v. Dusting of all items of furniture, windows and glass panes both from inside and outside, doors, computers equipment's, telephone instruments, notice boards, flower vases, art objects, pictures, paintings, and machines in the premises.
- vi. Vacuum cleaning of carpet floorings and mats.
- vii. Spraying of air fresheners at daily regular basis.
- viii. Providing of Liquid soap in toilets and placing of sufficient quantity of naphthalene balls/cakes in the urinals as per requirement. At no time the liquid soap dispenser shall be kept empty. All toilets should be washed twice a day using phenyl.
- ix. Scrubbing of WC's, wash basins, sanitary fittings and toilet floors should be done as per requirement.
- x. Removal of wastes from dustbins and disposing it off through a proper arrangement.
- xi. Wet mopping of the floors thrice a day and on need basis.
- xii. Vacuum Cleaning of areas wherever computers are located and installed.
- xiii. Cleaning of Baskets, waste paper baskets, cob-webs and disposing off all the collected



राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संसथान वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार सिडको,इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर 191132,जम्मू कश्मीर National Institute of Fashion Technology Ministry of Textiles, Govt. of India

SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

refuse/garbage/rubbish and other unserviceable materials to the notified dumping areas, on daily basis. Under No circumstances these shall be stacked /dumped even temporarily within the building or the surrounding premises.

- xiv. Cleaning and dusting of Electrical Switchboards, Light fixtures, doormats, and nameplates.
- xv. Clearing of any choking's in the drainages, manholes etc.
- xvi. Removal of beehives and cobwebs/honey webs from the office building and its premises.
- xvii. Cleaning and sweeping of open area including balconies and roof tops with brooms.

B) Weekly Services:

- I. Proper and effective cleaning of glass doors, wooden doors, sign boards, name plates, fans, lamp shades, overhead light fixtures.
- II. Washing and scrubbing of floor area with reputed detergents.
- III. Vacuum cleaning of sofa sets, Auditorium Chairs, Vertical Blinds.
- IV. Acid cleaning of sanitary ware without damaging their shine, scrubbing and cleaning of floors and walls in toilets/rooms, corridors with soap, detergents, kerosene/petrol or any other chemicals, automatic moppets /scrubbing machine to be used at least once in a week.

C) Monthly Services:

- I. Washing / cleaning of carpets wherever provided.
- II. Washing /cleaning of curtains wherever provided.
- III. Washing /cleaning of fabric chairs.
- IV. Total office area floors to be cleaned with floor scrubbing machine, wherever required as per directions of the Officer-In-charge
- V. All floors in common area floors including staircases shall be cleaned thoroughly by floor scrubbing machine with soap and water to remove all stains etc. After cleaning the floors with soap and water the floors shall be properly wax polished.
- VI. Moving of articles like tables, chairs, admirals, display boards, etc. as and when such shifting is necessary.
- VII. Cleaning and maintenance staff should be present at least eight (08) Hours / day.
- VIII. The present campus wise tentative carpet area works out to 16800/- sqft which is subject to increase or decrease. However, the exact area shall be communicated at the time of award of contract to the successful bidder.
- 36. The selected Agency shall also be responsible for maintenance & cleaning of internal roads, lawns, gardens etc. For this purpose, the agency shall deploy sweeper from the main building. This service shall not be charged separately by the Agency. However, they may keep a scope of such expenses while quoting the rate at Column 5 of Financial Bid (Appendix-1)



UNDERTAKING BY THE HOUSEKEEPING CONTRACTOR

We have carefully gone through the various terms and conditions listed in sections 'A', 'B', 'C', 'D' & 'E' above for provision of Housekeeping services at NIFT, Srinagar. We agree to all these conditions and offer to provide Housekeeping services at NIFT. We are making this offer after carefully reading the conditions and understanding the same without any kind of pressure or influence from any source whatsoever. We have inspected the Institute premises and have acquainted ourselves with the tasks required to be carried out, before making this offer. We hereby sign this undertaking as token of our acceptance of various conditions listed above.

Place: Date:	
	Signature of Housekeeping Agency/Contractor
	Address: -
	Phone No
	E-mail:

Seal of the Agency



Form of Bid-Securing Declaration

Date: [insert date (as day, month and year)]
Bid No.: []
To NIFT Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K
I/we undersigned and declare that: I/we understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. I/we, accept that we will automatically be suspended from being eligible for bidding in any contract with the NIFT Srinagar for the period of 3 years, if we are in breach of our obligation(s) under the bid conditions, as listed below: (a) Have withdrawn our Bid during the period of bid validity specified in the Letter of Bid; or (b) having been notified of the acceptance of our Bid by the NIFT Srinagar during the period of bid validity, (i) fail or refuse to execute the Contract, if required, or (ii) fail or refuse to furnish the Performance Security, in accordance with NIT.
Signed
Name:
Dated:day of
Corporate Seal (where appropriate)
[Note: In case of a Joint Venture, the Bid-Securing Declaration must be in the name of all partners to the Joint Venture that submits the bid.]



FORM I Technical Bid

ANNUAL RATE CONTRACT FOR PROVIDING HOUSEKEEPING SERVICES AT NIFT SRINAGAR

1.	Name of the Agency	:		
2.	Address of the Agency:			
3.	Phone No.:	(Mob.)	(e-mail)	
4.	Whether proprietor/ par	tnership Firm / C	ompany:	

S. No.	Required Documents	Attached /Not Attached	Sr. No. of Proof (Must be indicated)
1.	Date of incorporation of the Firm. State whether it is Partnership/ or Proprietorship (attached a certified copy for proof)		
2.	Bid Security Declaration towards EMD (Duly Stamped & Signed on Company/ Firm Letter Head)		
3.	A) Last 3 consecutive years (2018-19, 2019-20, 2020-21) experience certificate for successful completion of work issued by the concerned organization (Please attach attested copies of the same along with details as per Annexure I & Annexure II)		
4.	Certified document in support of annual turnover of Rs. 20 Lakh or above in each of the last three years 2017-18, 2018-19, 2019-20) (CA Certified statement/certificate for turnover/IT returns for last 3 years must be enclosed along with Technical Bids).		
5.	Registration certificate/License under Contract Labor Act issued from Assistant Labour Commissioner/Regional Labour Commissioner		
6.	Copy of the GST no. of the Firm		



राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संसथान वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार सिडको,इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर 191132,जम्मू कश्मीर National Institute of Fashion Technology

Ministry of Textiles, Govt. of India

SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

7.	Income Tax return for last 3 years (Financial Years	
	2017-18, 2018-19, 2019-20)	
8.	Registration certificate from EPF	
9.	Registration certificate from ESI	
10.	Copy of terms and conditions and every page	
	of the tender document duly signed with seal of	
	the	
	firm, in token of acceptance of terms and	
	conditions of tender. (Yes/No)	
11.	Tenderer should not be blacklisted by any	
	Department of the Central or State Government	
	or any PSU or any other organization. An	
	affidavit (notarized) in this effect must be	
	enclosed.	
13.	Address Proof of Registered Office as well Branch	
	office at Srinagar, J&K of the firm agencies.	

Dated:	_ Full Name, Signature & seal of
	the Authorized person
Place:	



Name of the Bidder:....

राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संसथान वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार सिडको,इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर 191132,जम्मू कश्मीर National Institute of Fashion Technology Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

Appendix-I

PROFORMA FOR FINANCIAL BID (FORM -II)

Tel No./s
GSTN No
Ouantity of cleaning material and machine equipment is as per existing carpet area of 16800 sq. ft. In case

Note: Quantity of cleaning material and machine equipment is as per existing carpet area of 16800 sq. ft. In case, the area increases due to addition of buildings or shifting of Campuses or due to any other reason, the quantity of cleaning material and machine equipment shall be increased by the Agency proportionately.

Housekeeping / Service	Cleaning Mater (Column 2)	rial	Machine Equipment /Qty		Rate per Square
(Column 1)	Material	Monthly requirement	(Column 3)	Area (in square feet) (Column 4)	feet of Carpet Area (Column 5)
Appropriate housekeeping services to be worked out as per the carpet area of the NIFT Campus One Sweeper for maximum of 4000 sq.ft.	 Liquid Hand wash-Dettol (200 ml) Odonil Cubes - SandalWood Toilet Cleaner - Harpic / Lizol/Cleanzo - 1 litre Phenyl for Toilets wetMopping (1 ltr) Acid for acid cleaning (250 ml) Colin for Dry Mopping (250 ml) Washing Powder ½ kg Pkts for 	25 Bottles 25 Nos 15 Bottles 20 Bottles 20 Bottles 15 Bottles 20 Pkts.	 Vacuum Cleaner 2000 watts or above (one per floor/10000 sq. ft.area) Wet Vacuum 2000 watts or above (one per floor/10000 sq. ft.area) Vacuum sweepers Heavy Duty (One per floor/10000 	16800 sqft, However, the actual carpet area shall be measured after the issuance of LOA/LOI or the award of contract.	



राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संसथान वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार सिडको,इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर 191132,जम्मू कश्मीर National Institute of Fashion Technology

Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

washbasina/sin1	ks 05 Dozen		
washbasins/sinl 8. Naphthalene Ba			
o. Ivapitulaielle ba	20 No.		
9. Room Freshener	of		
different flav	ors		
(470 ml) (Odo	nil,		
Godrej)			
10.Cotton Dusters	Soft 100 No.		
11. Toilet Brush	10 No.		
medium			
size			
12.Cobweb Brus	h	(()	
Rod	10 No.	sq. ft. area)	
Kou	10140.	4 Dingan Table	
		4. Ringer Trolley (one	
13. Scrubbers			
	20 Nos		
14 Winawa I augan /1	18 inch	per floor/1000 sq. ft.	
14.Wipers Larger (1 base)	15 No.	area)	
,			
45 Elean M	one		
15. Floor M (standardsize)	ops 30 No.		
(Startdardsize)	OU 1NO.	E Duct D1	
		5. Dust Blowers heavy duty	
		(one	
16. Rough Brooms			
handle for	road	per floor/1000 sq.	
cleaning 17. Toilet Paper	Rolls 20 Nos	ft. area)	
(Double Layer)	1.0113		
18. Face Tissue	15 Rolls		
	10 Boxes		
19. Hand Sanitizers			
	20 B	Sottles	



राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संसथान वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार सिडको,इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर 191132,जम्मू कश्मीर National Institute of Fashion Technology

Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

	(100ml each)		
20. Sanitizer Spray	05 Litres		
		Aluminum	
		Atummum	
		Ladders 06 feet	
		06 no.	
		7. Bamboo Ladder 30 feet 06 no.	
		8. Spray/Fumiga tion Machines	
		02 No. 9. Any other	
		machine/equipment as may be required for	
		completion of assigned task.	



Notes:

While quoting the Rate under Column 5 of Appendix -1, the bidder must note that following expenses are to be borne by it from the quoted amount:

- a. Wages of Staff
- **b.** Employees Share of EPF, ESI, EDLI etc
- c. Cost of Material/Equipment mentioned above in the Column 2
- d. Uniform of Sweepers
- e. TDS under Income Tax
- f. Wage of Leave Reserve.
- 2. Items supplied should be of reputed brand and make as decided by NIFT.
- 3. The agency shall deduct the employee's contribution for EPF & ESI from the wages of the staff anddeposit the same with the concerned quarters.
- 4. L-1 would be decided on the basis of amount of Rate Quoted in INR under Column 5 of Appendix -1 by the tenderer. In case two or more tenderers quoting same rates/same profit margin, preference will be given to the tenderer having maximum experience of providing housekeeping services in similar Govt. organizations as per the records submitted by the bidders at the time of submitting the tender. The recommendations of the Committee and the decision of the Director, NIFT Srinagar shall be final in all respect and shall be binding on bidders.
- 5. GST as per prevalent rules shall be paid by NIFT over and above quoted amount.

Declaration:

It is certified that the information furnished above is correct. We have gone through the terms and conditions stipulated in the E-Tender Document and confirm to abide by the same. The signatory to this bid is authorized to sign such bids on behalf of the organization.

SIGNATURE OF TENDERER

Place:	Signature:
Date:	Name:
	Designation:



ANNEXURE - II

Statement of the existing/present clients of the firm.

S.No.	Name and Address		No. of	Period of	Monthl	Total value	Total	Sr. no. of
	of the firm	Designation and		Contract	y	ofContract	Year of	proof
		Contact Phone	deployed		contract	(Rs.)	Experien	attached
		no. of the		From - To	amount		ce	
		official			(Rs.)			
		in-charge						
1	2	3	4	5	6	7	8	9